प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट - 'अ'

वि.सभा अता. प्र. क्र. 826 परिशिष्ट 'अ' माननीय श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक, सदस्य विस. [26/6/2018]

प्रश्न सं.[क्र. 826] मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

क्रमांक एफ 11–19 / 2011 / 1–10 भोपाल, दिनांक 23/02/2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय कमिश्नर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्य प्रदेश।

विषय:—सतर्कता एजेन्सी द्वारा डाले गये छापे / ट्रेप के प्रकरणों में पकड़े गये अधिकारी / कर्मचारियों का अन्यत्र स्थानांतर या संलग्नीकरण करने विषयक।

संदर्भ:—1. सा.प्र.वि. का परिपत्र क. एफ 15–7 / 87 / प्रसको. / एक दि. 24 / 07 / 1987
2. सा.प्र.वि. का परिपत्र क. एफ 15–1 / 94 / 1–10 दिनांक 05 / 01 / 1996
3. सा.प्र.वि. का परिपत्र क. एफ 11–2 / 04 / 1–10 दिनांक 01 / 03 / 2004
4. सा.प्र.वि. का परिपत्र क. एफ 11–19 / 2011 / 1–10 दिनांक 29 / 07 / 2011

—0—

सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्रों द्वारा छापे अथवा ट्रेप प्रकरणों में पकड़े गये अधिकारी / कर्मचारियों के द्वारा साक्ष्य अथवा अन्वेषण को प्रभावित न करने की दृष्टि से विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन अथवा राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के अनुरोध पर उनको अन्यत्र स्थानांतर करने के संबंध में पूर्व में किये गये समस्त निर्देशों को निरस्त किया जाकर निम्नानुसार एकजाई निर्देश जारी किये जाते है :—

1. ट्रेप अथवा छापे के प्रकरणों मे आरोपी अधिकारी / कर्मचारियों के संबंध में किसी भी माध्यम से सूचना प्राप्त होने अन्यथा संज्ञान में आने के 03 कार्य दिवस की समयावधि के भीतर ऐसे अधिकारी / कर्मचारियों को उस पद पर से जिस पर रहते हुये ट्रेप अथवा छापे की कार्यवाही हुई है, से अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया जाये। यदि प्रथम जानकारी समाचार पत्रों या अन्य मीडिया से प्राप्त होती है, तो केवल दूरभाष पर उसकी पुष्टि करा लेना इस कार्यवाही के लिये पर्याप्त होगा।

2. ऐसे कार्यालय अथवा संस्था जैसे प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पंचायत आदि जिनके अन्य स्थान पर कोई कार्यालय नहीं है, ऐसे कार्यालयों में पदस्थ अधिकारी / कर्मचारियों को महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील दायित्वों से पृथक रखा जाए।

3. ~~ट्रेप अथवा छापे के प्रकरणों में पकड़े गये~~ अधिकारी / कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानांतरित किये जाने के प्रस्ताव पर यदि माननीय मंत्री जी की व्यस्तता या भ्रमण पर होने के कारण तत्काल अनुमोदन प्राप्त करना संभव न हो तो ऐसे प्रकरणों में प्रथमतः संबंधित अधिकारी / कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश जारी किये जाकर

माननीय मंत्री जी का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही की जाये। यह व्यवस्था समन्वय में माननीय मु. मंत्री जी द्वारा अनुमोदित है।

2/ ट्रेप अथवा छापे के प्रकरणों में पकड़े गये अधिकारी/कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानांतरित करने के संबंध में उपरोक्त निर्णयानुसार कार्यवाही की जाकर उसकी सूचना संबंधित जांच एजेन्सी एवं सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष–10) के साथ–साथ आयुक्त, जनसंपर्क विभाग को भी दी जावे।

3/ कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(विजया श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 11–19/2011/1–10
भोपाल, दिनांक २3/02/2012

<u>प्रतिलिपि:–</u>

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, म0.प्र0 शासन, भोपाल।
2. सचिव, लोकायुक्त संगठन, म.प्र. भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
4. महानिदेशक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, भोपाल, म.प्र.।
6. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
7. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर, म.प्र.।
8. आयुक्त, जनसंपर्क, म0प्र0 भोपाल।
9. स्टॉक फाइल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

D:\Documents\GAD-10\1\LT saify.doc-116